समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या- 29/2021

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.)
दिबियापुर, जिला - औरैया ।

------- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

परिवादी इण्डस टावर लि. छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ की ओर से कहा गया है कि उसके टावर को विद्युत संयोजन 781726688774 व मीटर संख्या 7992824 है । परिवादी ने 12 साल के बाद गलत ढंग से गलत बिल भेजा है । परिवादी ने धारा 56 (2) विद्युत अधिनियम 2003 का लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की है । परिवादी नें विद्युत कनेक्शन का फिर से चालू करने तथा Revenue Annexure Act के तहत कार्यवाही करने से मना करने व जारी किये एवं वसूली प्रमाण पत्र को निरस्त करने तथा विपक्षी पर जारी हेतु आदेश होने की प्रार्थना की है ।

इण्डस टावर लि. लालू सिंह उदीपुर एअर वकात्रा का संयोजन सं. 781726688774 स्वीकृत भार 16.667 KW का Previous Arrear रु. 5,41,634/- और Previous Surcharge रु. 2,22,425/- था ।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का. सं. 3/1 ता 3/6 एवं संलग्नक का.सं. 3/7) दाखिल किया गया है । धारा 1 के कथन विवादित नहीं है । धारा 2 के कथन असत्य व अस्वीकार है परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में टेली कम्यूनिकेशन डिर्पाटमेंट से जारी फर्म /परिवादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है । जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया गलत है । तथा इस आधार पर ही परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है । धारा 3 के कथन विधिक प्रावधानो से सम्बन्धित है जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है । धारा 4 के कथन में यह स्वीकार है कि परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781726688774 विपक्षी / परिवादी से प्राप्त किया था । यह कनेक्शन वाणिज्यिक विधा के श्रेणी में आता है । जिसका स्वीकृत भार 16.667 के.वी.ए. है ।

आगे जारी है ।

धारा 5 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी को माह दर माह के बिल जारी किये गये तथा सम्बन्धित कनेक्शन का बिल माह 05/2019 में मीटर यूनिट के आधार पर रू. 17,38,178.00 से संशोधित कर रू. 14,45,957.00 का बिल बनाया गया। इस बिल में से परिवादी के द्वारा आंशिक भुगतान दिनांक 26.08.2019 को रू. 10,13,094.00 किया गया यह भुगतान परिवादी के द्वारा बिल से संतुष्ट होने के उपरान्त ही किया गया था। तथा डिस-कनेक्शन एवं रि-कनेक्शन चार्ज में रू. 1000.00 का भुगतान किया गया। परिवादी के खाते से सम्बन्धित लेजर की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक 1 है। जिसमें दिनांक 29.03.2021 तक बकाया धनराशि रू. 10,24,042.00 थी। परिवादी का विद्युत कनेक्शन बकाया धनराशि रू. 6,97,108.00 पर दिनांक 15.01.2020 का अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया। जिसमें उपभोक्ता द्वारा दिनांक 29.02.2020 को आंशिक भुगतान किया गया। विद्युत बिल जमा न करने के कारण उसके विरूद्ध उ.प्र. विद्युत संस्था देयो की वसूली अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत नोटिस जारी किया गया तथा भुगतान न करने पर इसी अधिनियम की धारा 5 के तहत वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर औरैया को प्रेषित किया गया। धारा 6 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को माह दर माह के बिल प्रेषित किये गये तथा बिल रू. 17,38,178.00 माह 2019 में संशोधित कर रू. 14,45,997.00 का जारी किया गया जिसमें से परिवादी के द्वारा रू. 10,13,094.00 का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया। परिवादी को माह दर माह के बिल रीडिंग से प्रेषित किये गये किन्तु उसके द्वारा भुगतान न करने के कारण दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 01.06.2020 की अवधि का बिल रू. 7,95,394.00 का जारी किया गया जिसमें विद्युत मूल्य धनराशि रू. 5,41,634.00 व सरचार्ज धनराशि रू. 2,22,425.00 को जोड़कर बना है। विद्युत मूल्य में करेन्ट माह का रू. 16,828.00 का था। परिवादी के द्वारा इस बिल की फोटो प्रतिलिपि स्वयं ही अपने परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि परिवादी के ऊपर बकाया धनराशि का विवरण उसके लेजर से स्पष्ट है जो कि जवाबदावे का संलग्नक 1 है। धारा 7 के कथन में परिवादी के द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) का उल्लेख किया है। उक्त धारा के कथनों को छोड़कर शेष कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के प्रकरण में उक्त धारा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। जैसा कि जवाबदावे के संलग्नक 1 जो कि परिवादी के विद्युत खाते का लेजर है से स्पष्ट है। तथा परिवादी के द्वारा इस लेजर में वर्णित संशोधित बिल की धनराशि रू. 14,45,997.00 में से रू. 10,13,094.00 का भुगतान दिनांक 26.08.2019 को किया जा चुका है तथा परिवादी के द्वारा विपक्षी द्वारा जारी बिलों की उक्त धनराशि का स्वीकार किया गया है जिसके कारण भी बिल धनराशि के काल बाधित होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। धारा 8 के कथन विधिक हैं। संदर्भ में कोई अन्य कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 9 के कथन भी विधिक प्रावधानो को उल्लिखित कर वर्णित किया गया है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि परिवादी को माह दर माह के बिल जारी किये गये तथा परिवादी के द्वारा बिल धनराशि को स्वीकार कर दिनांक 26.08.2019 को रू. 10,13,094.00 का भुगतान भी किया गया है। धारा 10 के कथन स्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा विद्युत बिल धनराशि का भुगतान न करने कारण उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया है। परिवादी के द्वारा यदि अक्टूबर 2021 के बिल धनराशि रू. 11,66,658.00 तथा विद्युत कनेक्शन के पुनः संयोजन की तिथि तक बकाया धनराशि का भुगतान करने तथा डिस-कनेक्शन व रि-कनेक्शन चार्ज का भुगतान करने पर उसका कनेक्शन चालू कर दिया जायेगा। धारा 11 के कथन असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के ऊपर बकाया धनराशि काल बाधित नहीं है तथा वह किसी प्रकार से बकाया धनराशि रू. 11,66,658.00 में किसी प्रकार की छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

आगे जारी है।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाह को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दिबियापुर, जिला औरैया के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

क्या परिवादी का परिवाद कायम रहने योग्य है।

(1) परिवादी ने परिवाद विपक्षी के विरुद्ध दाखिल किया है। परिवादी ने विद्युत बिल का. सं. 1/9 दाखिल किया।

(2) परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781726688774 विपक्षी / परिवादी से प्राप्त किया था। यह कनेक्शन वाणिज्यिक विधा के श्रेणी में आता है। जिसका स्वीकृत भार 16.667 के.वी.ए. है। परिवादी को माह दर माह के बिल जारी किये गये तथा सम्बन्धित कनेक्शन का बिल माह 05/2019 में मीटर यूनिट के आधार पर रू. 17,38,178.00 से संशोधित कर रू. 14,45,957.00 का बिल बनाया गया। इस बिल में से परिवादी के द्वारा आंशिक भुगतान दिनांक 26.08.2019 को रू. 10,13,094.00 किया गया यह भुगतान परिवादी के द्वारा बिल से संतुष्ट होने के उपरान्त ही किया गया था। तथा डिस-कनेक्शन एवं रि-कनेक्शन चार्ज में रू. 1000.00 का भुगतान किया गया। परिवादी का विद्युत कनेक्शन बकाया धनराशि रू. 6,97,108.00 पर दिनांक 15.01.2020 का अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया। जिसमें उपभोक्ता द्वारा दिनांक 29.02.2020 को आंशिक भुगतान किया गया। विद्युत बिल जमा न करने के कारण उसके विरूद्ध उ.प्र. विद्युत संस्था देयो की वसूली अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत नोटिस जारी किया गया तथा भुगतान न करने पर इसी अधिनियम की धारा 5 के तहत वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर औरैया को प्रेषित किया गया। परिवादी को माह दर माह के बिल प्रेषित किये गये तथा बिल रू. 17,38,178.00 माह 2019 में संशोधित कर रू. 14,45,997.00 का जारी किया गया जिसमें से परिवादी के द्वारा रू. 10,13,094.00 का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया। परिवादी को माह दर माह के बिल रीडिंग से प्रेषित किये गये किन्तु उसके द्वारा भुगतान न करने के कारण दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 01.06.2020 की अवधि का बिल रू. 7,95,394.00 का जारी किया गया जिसमें विद्युत मूल्य धनराशि रू. 5,41,634.00 व सरचार्ज धनराशि रू. 2,22,425.00 को जोड़कर बना है। विद्युत मूल्य में करेन्ट माह का रू. 16,828.00 का था। परिवादी के द्वारा इस लेजर में वर्णित संशोधित बिल की धनराशि रू. 14,45,997.00 में से रू. 10,13,094.00 का भुगतान दिनांक 26.08.2019 को किया जा चुका है तथा परिवादी के द्वारा विपक्षी द्वारा जारी बिलों की उक्त धनराशि का स्वीकार किया गया है जिसके कारण भी बिल धनराशि के काल बाधित होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। परिवादी को माह दर माह के बिल जारी किये गये तथा परिवादी के द्वारा बिल धनराशि को स्वीकार कर दिनांक 26.08.2019 को रू. 10,13,094.00 का भुगतान भी किया गया है। परिवादी के द्वारा विद्युत बिल धनराशि का भुगतान न करने कारण उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया है। परिवादी के द्वारा यदि अक्टूबर 2021 के बिल धनराशि रू. 11,66,658.00 तथा विद्युत कनेक्शन के पुनः संयोजन की तिथि तक बकाया धनराशि का भुगतान करने तथा डिस-कनेक्शन व रि-कनेक्शन चार्ज का भुगतान करने पर उसका कनेक्शन चालू कर दिया जायेगा। परिवादी के ऊपर बकाया धनराशि काल बाधित नहीं है तथा वह किसी प्रकार से बकाया धनराशि रू. 11,66,658.00 में किसी प्रकार की छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

आगे जारी है।

विपक्षी द्वारा आफिस मेमोरेन्डम लेटर नं. 6016 E.E.D Dibiyapur (का. सं. 11/1 ता 11/2) दिनांक 04.10.2021 एवं पत्रांक सं. 6050/वि.वि.ख.दि./कोर्ट केस (का. सं. 12/1 ता 12/6) दिनांक 06.12.2022 एवं MRI की कॉपी (का. सं. 13/1 ता 13/2) को दाखिल किया गया है।

परिवादी का संयोजन जुलाई 2009 का है। परिवादी को 56(2) का Benefit नहीं दिया जा सकता क्योकि विपक्षी द्वारा (का. सं. 12/1) के अनुसार प्रथम बिल दिनांक 30.12.2009 को generate हुआ है एवं अन्य बीजकों के साथ दिनांक 30.07.2012 को रु. 3,98043/- जमा किया गया।

विपक्षी द्वारा उपभोक्ता को पी. डी. फाइनल बिल लेटर नं. 6016 E.E.D Dibiyapur (का. सं. 11/1 ता 11/2) दिनांक 04.10.2022 को दाखिल किया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी को पी.डी. फाईनल बिल दिनांक 12.12.2022 को प्राप्त करा दिया गया था जिस पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं दर्ज करायी गयी है इसलिए संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) का परिवाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी को दिये गये पी.डी. फाईनल बिल पर उसके द्वारा कोई आपत्ति न दिये जाने के कारण परिवाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

24/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 24/12/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

24/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 24/12/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति